क्रम-संख्या–144(क–4)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 21 अगस्त, 2023

श्रावण 30, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 417 / 79-वि-1–2023-1-(क)-7-2023
लखनऊ, 21 अगस्त, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2023 जिससे कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 18 अगस्त, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2023 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2023

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2023)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 20 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 की धारा 9-क का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 9-क में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी मण्डी समिति द्वारा यथा विहित रीति से थोक व्यापारी हेतु जारी लाइसेंस को एकीकृत लाइसेंस माना जायेगा। एकीकृत लाइसेंसधारी राज्य के किसी मण्डी क्षेत्र में व्यापार करने के लिए प्राधिकृत होगा।"

धारा 17-क का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 17—क की उपधारा (1) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :—

(ग) जहाँ राज्य सरकार की यह राय हो कि राज्य में प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना आवश्यक और समीचीन है वहाँ वह, राज्य के बाहर से प्रसंस्करण हेतु लाये गये विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद पर यथा विहित रीति से मण्डी शुल्क एवं विकास उपकर में छूट प्रदान कर सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य के बाहर से लाये गये कृषि उत्पाद को प्रसंस्करण इकाई द्वारा सीधे क्रय किया जायेगा और विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद पर राज्य, जहाँ कृषि उत्पाद लाया गया हो, में प्रवृत्त विधि, यदि कोई हो, के अनुसार मण्डी शुल्क एवं उपकर, यदि कोई हो, का सम्यक रूप से भुगतान किया जायेगा।

(घ) खण्ड (क) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ राज्य सरकार की यह राय हो कि राज्य में प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना और राज्य में उत्पादित विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के विपणन और उसे उक्त इकाईयों द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किये जाने हेतु प्रोत्साहित करना लोकहित में आवश्यक एवं समीचीन है वहाँ वह, ऐसे विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद पर यथा विहित रीति से मण्डी शुल्क एवं विकास उपकर में छूट प्रदान कर सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि प्रसंस्करण इकाई उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद, राज्य सरकार द्वारा यथा विहित रीति से, उत्तर प्रदेश राज्य में सीधे कृषकों से क्रय करेगी।

(ङ) राज्य सरकार पूर्वोक्त खण्ड (ग) एवं (घ) के अधीन प्रदत्त छूट के फलस्वरूप राज्य की समस्त मण्डी समितियों की आय में विहित रीति से आगणित कुल कमी की प्रतिपूर्ति, वार्षिक आय-व्ययक के माध्यम से करेगी।

निरसन और व्यावृत्ति

4—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि उत्पाद के क्रय तथा विक्रय और मण्डियों के अधीक्षण, नियंत्रण तथा स्थापना के विनियमन का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

दिनांक 2 फरवरी, 2023 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2023 में, प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें मण्डी शुल्क तथा विकास उपकर से छूट दिये जाने का उपबंध किया गया है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में अधिक निवेश को आकृष्ट करने तथा रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से राज्य में अधिक प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना था। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करना कि राज्य के कृषक इस नीति से लाभान्वित हों, प्रसंस्करण इकाईयों को कृषकों से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद को सीधे क्रय किये जाने पर मण्डी शुल्क तथा विकास उपकर से छूट दिये जाने का उपबंध किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य को एक मण्डी क्षेत्र के रूप में मानने के भी उपबंध किये गये हैं। उक्त नीति के उपबंधों को पूर्वोक्त अधिनियम में सम्मिलित किये जाने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 9-क तथा 17-क में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरंत विधायी कार्रवाई करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 अप्रैल, 2023 को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 417(2)/LXXIX-V-1–2023-1-(ka)-7-2023

Dated Lucknow, August 21, 2023

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 7 of 2023) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 18, 2023. The Krishi Vipnan evam Krishi Videsh Vyapar Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2023

(U.P. Act No. 7 of 2023)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy fourth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from April 20, 2023.

Amendment of section 9-A of U.P. Act no. 25 of 1964

2. In the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (hereinafter referred to as the "principal Act") in Section 9-A *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely:-

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) licence issued to a wholesale trader by any mandi samiti, in the manner as may be prescribed, shall be treated as Unified Licence. The Unified Licencee shall be authorized to trade in any market area of the State."

Amendment of section 17-A

3. In sub-section (1) of Section 17-A of the principal Act, *after* clause (b), the following clauses shall be *inserted*, namely:-

"(c) Where the State Government is of the opinion that it is necessary and expedient to encourage the establishment of processing units in the State, it may exempt market fee and development cess on specified agricultural produce brought from outside the State for processing, in such manner as may be prescribed:

Provided that the agricultural produce brought from outside the State shall be purchased directly by the processing unit and the market fee and cess on specified agricultural produce, if any, shall be duly paid according to the law, if any, in force in the State from where the agricultural produce is brought.

(d) Notwithstanding anything contained in clause (a), where the State Government is of the opinion that it is necessary and expedient in public interest to encourage the establishment of processing units in the State and to promote the marketing of specified agricultural produce cultivated in the State and to be used as raw material by said units, it may exempt market fee and development cess on such specified agricultural produce in such manner as may be prescribed:

Provided that the processing unit shall purchase specified agricultural produce directly from the farmers in the State of Uttar Pradesh, in such manner as may be prescribed by the State Government.

(e) The State Government shall reimburse the total shortfall, calculated in the prescribed manner, in the income of all market committees of the State as a result of the exemption given under the aforesaid clauses (c) and (d) through Annual Income-Expenditure."

Repeal and saving

4. (1) The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2023 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 5 of 2023

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. 25 of 1964) was enacted to provide for the regulation of sale and purchase of agricultural produce and for the establishment, superintendence and control of markets therefor in the State of Uttar Pradesh.

In the Uttar Pradesh Food Processing Industry Policy, 2023 which was promulgated on 02.02.2023, provisions have been made to exempt the processing industries from market fee and development cess in order to encourage them. The objective of the policy was to encourage establishment of more processing units in the State in order to attract more investment in the State and generate more employment. Moreover, to ensure that the farmers of the State should be benefitted with this policy, provisions have been made to exempt processing units from market fee and development cess on direct purchase of specified agricultural produce from farmers. Provisions have also been made to consider the entire State of Uttar Pradesh as one market area for food processing industries. In order to incorporate the provisions of the said policy in the aforesaid Act, it was decided to amend sections 9-A and 17-A of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2023 (U.P. Ordinance no. 5 of 2023) was promulgated by the Governor on April 20, 2023.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 513 राजपत्र–2023–(1647)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट) ।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 82 सा0 विधायी–2023–(1648)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट) ।
513 RPH Adhiniyam folder (vidhaika- 2023)-data 8e